## [1][नियम 88ग : जावक प्रदायों के ब्यरों और विवरणी में रिपोर्ट किये गये दायित्व में अंतर के संबंध की रिति

**(1)** जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अवधि के संबंध में, **प्ररूप जीएसटीआर 1** [2]**[प्ररूप जीएसटीआर–1क** में यथा संशोधित यदि कोई हों**]** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुये में, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये जावक प्रदाय के ब्यूरों के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अवधि के लिये विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक है, ऐसी राशि या ऐसे प्रतिशत से, जो कि परिषद द्वारा अनुशंसित किया जाये, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01ख** के **भाग क** में इस तरह के अंतर के बारे में सूचित किया जायेगा और उक्त अंतर को उजागर करते हुये ऐसी सूचना की एक प्रति, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किये गये या समय–समय पर संशोधित किये गये, उसकी ई–मेल पते पर भी भेजी जायेगी और उसे निर्देशित किया जायेगा कि या तो–

**(क)** **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अंतर करदेयता का संदाय करें, या

**(ख)** सामान्य पोर्टल पर देयकर में पूर्वोक्त अंतर का स्पष्टीकरण करे,

सात दिनों की अवधि के भीतर।

**(2)** उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,–

**(क)** **प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01ख** के **भाग क** में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, **प्ररूप जीएसटी डी आर सी 03** के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01ख** के **भाग ख** में प्रस्तुत करें( या

**(ख)** सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01ख** में के **भाग ख** में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुये, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, यदि कोई हो, एक उत्तर प्रस्तुत करें,

सात दिनों की अवधि के भीतर।

**(3)** जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उपनियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर असंदत्त रहती है और जहां कोई स्पष्टीकरण या कारण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 88ग अंतस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

[2] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।